न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी श्री रवि वर्मा

तारीख रज्जू– 05/01/2024

अपील संख्या 01/24

1. फतेहसिंह पुत्र सुसरिया जाति जाटव निवासी मेडी तहसील वजीरपुर।
2. महेश पुत्र सुसरिया जाति जाटव निवासी मेडी तहसील वजीरपुर।
3. रमेश पुत्र सुसरिया जाति जाटव निवासी मेडी तहसील वजीरपुर।

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार वजीरपुर तहसील वजीरपुर ।

–रेसपोडेन्ट

दिनांकः– 04.07.2024

निर्णय

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार वजीरपुर द्वारा मिसल संख्या 128/22 में पारित निर्णय दिनांक 02.09.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम मैडी के आराजी ख0नं0 1270 रकबा 0.15है0 किस्म सिवायचक पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने एवं सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलार्थी मजदूर पेशा व्यक्ति है तथा मजदूरी करने के लिए गुजराज में रहते है। भूमि ख0नं0 1270 स्थित ग्राम मेडी के पास ही में प्रार्थीगण अपीलार्थीगण की खातेदारी भूमि है। जिसकी डोलमेढ नहीं हो रही है। सीमाज्ञान के अभाव में यदि अनजाने में प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण से ख0नं0 1270 में यदि अतिक्रमण हो गया हो तो यह सीमाज्ञान के अभाव में हुआ है। अपीलार्थीगण सम्यक तामिल नहीं हुई जो नोटिस जारी हुआ है वह भी संयुक्त रूप से जारी हुआ है जो कि अपूर्ण तामिल को पूर्ण मानकर माननीय न्यायालय ने प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण को दण्डित करने में कानूनी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण अपीलान्ट को पश्चात्वर्ती मानकर सिविल कारावास की सजा देकर कानूनी भूल की है जो निरस्तनीय है, साथ ही पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना बताया है, लेकिन अदालत मातहत की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है। जिससे अपीलान्ट का उक्त वाद आराजीयात पर पूर्व में अतिक्रमण होना साबित होता है। अपीलान्ट का उक्त वाद आराजीयात पर पूर्व में अतिक्रमण नहीं था, साथ ही अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट को जारी नोटिस में भी अपीलान्ट के प्राप्ति के कोई हस्ताक्षर नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है। अपीलान्ट द्वारा सिवायकच भूमि पर अतिक्रमण किया गया है यदि अदालत हाजा द्वारा अपीलान्ट की सजा माफ की जाती है तो अतिक्रमण को बढ़ावा मिलेगा। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

दोनों पक्षों की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकलता है कि अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध अतीचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई सबूत हेतु धारा 91(3) को नोटिस जारी किया गया जिस पर अपीलार्थीगण उपस्थित नहीं हुए । जहां तक अपीलार्थी के पूर्ववर्ती अतिचारी होने के प्रश्न है तो इस संबंध में पूर्व में किये गये अतिचार के संबंध में सुद्दढ साक्ष्य या अभिलेख पूर्व में अतिक्रमण संबंधित पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं निर्णय की प्रति, पूर्व की मौके से बेदखली रिपोर्ट तथा अदालत मातहत की पत्रावली में पूर्व में किस खसरे व कितने रकबे पर अतिक्रमण किया हुआ था व पूर्व बेदखली का भी कहीं अंकन नहीं है। मात्र पटवारी हल्का के बयानों के आधार पर सिविल कारावास जैसी कठोर सजा का आदेश

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

पारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। सिविल कारावास की सजा के लिए सुद्वढ अभिलेख का पत्रावली में अभाव पाया गया है। ऐसी अवस्था में सुद्वढ अभिलेख के अभाव में पारित किया गया सिविल कारावास की सजा का आदेश प्रथम दृष्टया उचित प्रतीत नहीं होता है।

लिहाजा उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से सिविल कारावास की सजा की हद तक स्वीकार की जाती है तथा शेष शास्ति व बेदखली का आदेश यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04.07.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी